अध्याय–1

भाग–1

अध्याय–1

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

1.1 ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करने के अलावा, यह क्षेत्र राज्य की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) से अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका 1.1, मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की अवधि के लिए मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार और स.रा.घ.उ. का विवरण प्रदान करती है ।

तालिका 1.1 : मध्य प्रदेश की स.रा.घ.उ. की तुलना में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
टर्नओवर	57,520.83	64,162.93	66,043.29
पूर्ववर्ती वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवरों में परिवर्तन का *प्रतिशत*	16.60	11.55	2.93
मध्य प्रदेश का स.रा.घ.उ.	5,30,442.61	6,39,219.67	7,07,046.99
पूर्ववर्ती वर्ष के स.रा.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में परिवर्तन का *प्रतिशत*	10.48	20.51	10.61
मध्य प्रदेश के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर का *प्रतिशत*	10.84	10.04	9.34

स्रोतः *सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर तथा मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक समीक्षा 2017–18 पर आधारित स.रा.घ.उ. आंकड़ों के आधार पर संकलित ।*

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, क्षेत्र का विकास, स.रा.घ.उ. के विकास के समनुरूप नहीं था। क्षेत्र की विकास दर में 2015–18 की अवधि में गिरावट हो रही है, जबकि इसी अवधि में स.रा.घ.उ. की वृद्धि 10.48 *प्रतिशत* और 20.51 *प्रतिशत* के मध्य रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. में चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर 10.05 *प्रतिशत* था। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर[1] विभिन्न समयावधियों में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. में 10.05 *प्रतिशत* की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर के मुकाबले, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में मात्र 4.71 *प्रतिशत* चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि रही। इसके फलस्वरूप स.रा.घ.उ. में ऊर्जा क्षेत्र के इन उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2015–16 के 10.84 *प्रतिशत* से घटकर 2017–18 में घटकर 9.34 *प्रतिशत* रह गयी।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.2 राज्य शासन ने मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (म.प्र.वि.सु.अ. 2000) लागू (फरवरी 2001) किया, जो अन्य बातों के साथ विद्युत उद्योग के पुनर्गठन और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र.रा.वि.म.) की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को राज्य शासन की एक या अधिक कंपनियों को हस्तांतरित करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करता है। राज्य शासन ने इसके अनुपालन में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र.रा.वि.म.) के विभक्तिकरण और संपत्तियों, परिसंपत्तियों, देनदारियों, दायित्वों, कार्यवाहियों और कार्मिकों के पांच ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों {(यानी मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

[1] चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर = [{(2017–18 का मूल्य/2015–16 का मूल्य)^(1/3 वर्ष)}–1]*100 ।

(म.प्र.पा.ज.कं.लि.), मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पूर्व.क्षे.वि.वि.कं.लि), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.मध्य क्षे.वि.वि.कं.लि.) और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पश्चिम क्षे.वि.वि.कं.लि.)} को हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश पावर सेक्टर सुधार योजना, 2003 (एम.पी.पी.एस.आर.टी.योजना, 2003) तैयार (30 सितंबर 2003) की। ऊर्जा क्षेत्र की ये पांच कंपनियां नवंबर 2001 से अस्तित्व में आई और एम.पी.पी.एस.आर.टी. योजना, 2003 के प्रावधानों के अनुसार म.प्र.रा.वि.म. की सभी संपत्तियाँ और देनदारियाँ (₹ 3,528.02 करोड़[2] की पूंजी एवं ₹ 1,151.57 करोड़ की देनदारियों सहित), इन कंपनियों में वितरित कर दी गयी। राज्य शासन ने 1982–83 में ₹ 0.69 करोड़ का पूंजी निवेश कर ऊर्जा क्षेत्र की एक अन्य कंपनी अर्थात मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.ऊ.वि.नि.लि.) निगमित की। इन छः कंपनियों और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.मै.कं.लि.)[3] कर दिया गया है, के अलावा चार[4] अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को म.प्र. पा.मै.कं.लि./ म.प्र.पा.ज.कं.लि. की सहायक कंपनियों के रूप में (फरवरी 2007 से अक्टूबर 2011 में) निगमित किया गया। इन उपक्रमों ने 2017–18 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं कीं और उनमें से एक[5] परिसमापन में भी जा चुकी है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

1.3 इस अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण नहीं किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2018 को निवेश का गतिविधि–वार सारांश तालिका 1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि–वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग
विद्युत उत्पादन	1	6,228.86[6]	11,843.00	18,071.86
विद्युत पारेषण	1	2,988.69	2,201.22	5,189.91
विद्युत वितरण	3	16,119.70	30,275.82	46,395.52
अन्य[7]	2	100.06[8]	20.58	120.64
इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं[9]	4	45.15	4.45	49.60
	11	**25,482.46**	**44,345.07**	**69,827.53**

स्रोत: *सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक खातों और पूंजी तथा ऋण के लिए अनुमोदन/ निस्तारण आदेश के आधार पर संकलित।*

---

2 म.प्र.पा.ज.कं.लि. (₹ 1,915.08 करोड़), म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. (₹ 730.43 करोड़), म.प्र.पूर्व.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 284.08 करोड़), म.प्र.मध्य.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 351.88 करोड़) और म.प्र.पश्चिम.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 246.55 करोड़) ।

3 तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की धारक कंपनी के रूप में ।

4 बा.थ.पा.कं.लि. (9–6–2011), शा.थ.पा.कं.लि. (5–2–2007), दा.धू.ख.पा.लि. (25–2–2010) और श्री.सि.पा.प्रो.लि. (12–10–2011)।

5 दा.धू.ख.पा.लि. (2017–18) ।

6 ***परिशिष्ट* 1.1** की कं. सं. क 1 पर निहित धारक कंपनी द्वारा अपनी कं. सं. ड्. 8 और ड्. 11 पर निहित सहायक कंपनियों में निवेशित ₹ 22.55 करोड की राशि को छोडकर।

7 ***परिशिष्ट* 1.1** की कं. सं. घ 6 एवं घ 7।

8 ***परिशिष्ट* 1.1** की कं. सं. घ 7 पर निहित सहायक कंपनी द्वारा अपनी कं. सं. ग 3 से ग 5 और ड्. 9 व ड्. 10 पर निहित सहायक कंपनियों में निवेशित ₹ 10,312.55 करोड की राशि को छोडकर।

9 ***परिशिष्ट* 1.1** की कं. सं. ड्. 8 से ड्. 11।

31 मार्च 2018 को इस प्रतिवेदन में शामिल सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूंजी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 69,777.93 करोड़ था। निवेश में 36.45 *प्रतिशत* पूंजी और 63.55 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋण शामिल थे। इसके अलावा, इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए चार सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 49.60 करोड़ का निवेश किया गया था।

कुल दीर्घावधि ऋणों का 60.45 *प्रतिशत* (₹ 26,808.01 करोड़) राज्य शासन द्वारा प्रदान किया गया था जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 39.55 *प्रतिशत* (₹ 17,537.06 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था। यद्यपि, 2016–17 और 2017–18 के दौरान राज्य शासन ने 30 सितंबर 2015 की स्थिति में विद्युत वितरण कंपनियों पर बकाया ऋण (₹ 34,739.00 करोड़) में से ₹ 12,189.99 करोड (35.09 *प्रतिशत*) उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)[10] के तहत वहन किया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की अवधि में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को पूंजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण और पूंजी में परिवर्तित ऋण के रूप में दी गयी बजटीय सहायता का सारांश तालिका 1.3 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[11]	2015–16		2016–17		2017–18	
	उपक्रमों की संख्या	राशि	उपक्रमों की संख्या	राशि	उपक्रमों की संख्या[12]	राशि
अंश पूंजी बहिर्गमन (i)	6	637.23	6	196.93	3	4,913.94
प्रदत्त ऋण (ii)	6	2,150.96	6	3,201.44	3	217.12
प्रदत्त अनुदान/ सब्सिडी (iii)	3	5,362.53	3	6,273.12	4	9,648.21
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	6	8,150.72	6	9,671.49	4	14,779.27
चुकाए गए/ अपलिखित ऋण	.–	–	1	170.00	1	3,805.48[13]
पूंजी में परिवर्तित ऋण	–	–	3	3,557.00	3	4,010.99
बकाया गारण्टी	7	5,026.98	6	10,086.05	4	2,772.16
गारण्टी प्रतिबद्धता	7	12,240.91	6	17,809.92	4	6,736.26

स्रोत: *सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक खातों और पूंजी, ऋण और गारण्टी के लिए अनुमोदन/ निस्तारण आदेश के आधार पर संकलित।*

[10] विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय तथा कार्यकारी सुधार हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाई गई योजना ।

[11] केवल राज्य के बजट से बहिर्गमित राशि।

[12] म.प्र. शासन द्वारा तीनों सहायक विद्युत वितरण कंपनियों को उनकी धारक कंपनी म.प्र.पा.मै.कं.लि. की ओर से सीधे अंशपूंजी निवेश प्रदान किया गया जिसके बदले इन सहायक कंपनियों ने अपनी धारक कंपनी को अंशपत्र जारी किए इसलिए राज्य शासन द्वारा निवेश की गणना हेतु सहायक कंपनियों की ओर से केवल धारक कंपनी का ही विचार किया गया है। शेष एक ऊर्जा क्षेत्र उपक्रम मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है।

[13] 2017–18 और 2016–17 के अंतिम शेष का अंतर (–) ₹ 7,599.35 करोड़ था : इसमें उदय के तहत आयी कमी (₹ 4,010.99 करोड़), चुकाया गया ऋण (₹ 3,805.48 करोड़) और बजट से प्राप्त ऋण (₹ 217.12 करोड़) शामिल है।

मार्च 2018 को समाप्त हुए पिछले तीन सालों में अंशपूंजी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के रूप में दिये गए बजटीय समर्थन का विवरण नीचे चार्ट में दिया गया है :

चार्ट 1.1: अंशपूंजी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के मद में प्रदत्त बजटीय सहायता

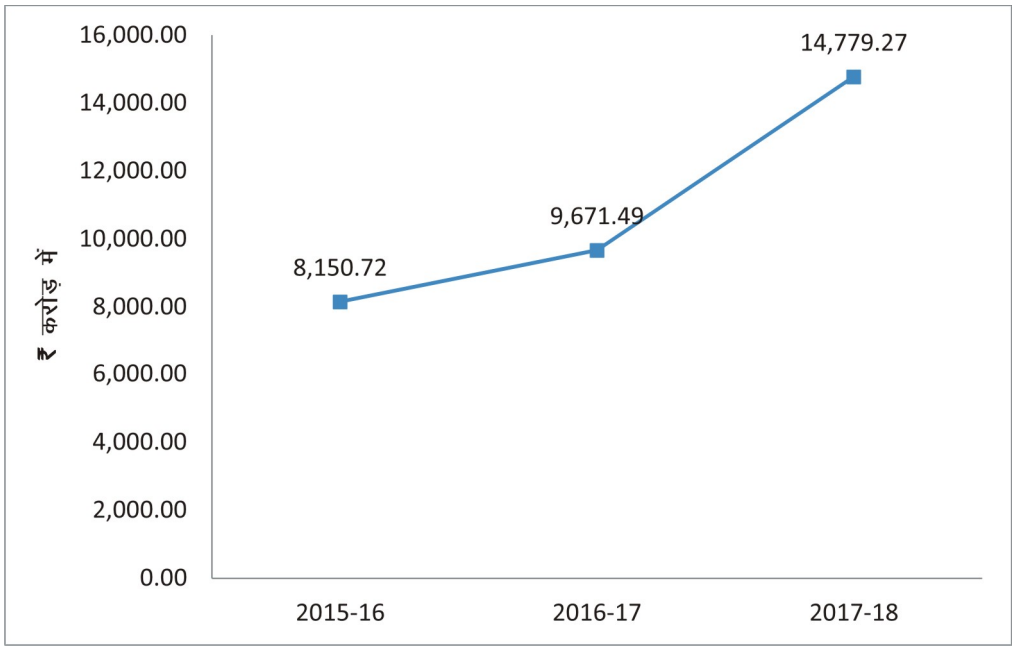

वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 8,150.72 करोड़ से ₹ 14,779.27 करोड़ के बीच रही । वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 14,779.27 करोड़ में ₹ 4,913.94 करोड़, ₹ 217.12 करोड़ और ₹ 9,648.21 करोड़ क्रमशः अंशपूंजी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के रूप में शामिल थे।

इसके अलावा, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.मं.) ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के संचालन और वित्तीय सुधारों के लिए उदय योजना भी शुरू की (20 नवंबर 2015)। उदय के प्रावधानों और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय की *कंडिका 1.19* में की गई है । उदय योजना के तहत 2017–18 के दौरान ₹ 4,010.99 करोड़ की बकाया ऋण को अंशपूंजी में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार, 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों की अंशपूंजी में ₹ 8,924.93 करोड़ का निवेश, नगद निवेश (₹ 4,913.94 करोड़) और उदय योजना के तहत तीन राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के अंशपूंजी में परिवर्तन (₹ 4,010.99 करोड़) के माध्यम से हुआ था। अंशपूंजी में वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत निवेश और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन गारण्टी नियम (म.प्र.शा.गा.नि.), 2009 के तहत गारण्टी प्रदान करता है। शासन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के मामले में बिना किसी अपवाद के म.प्र.शा.गा.नि., 2009 के प्रावधानों के तहत आधा *प्रतिशत* से एक *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से गारण्टी कमीशन वसूलने का निश्चय किया (फरवरी 2011)। बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताएं वर्ष 2016–17 में ₹ 17,809.92 करोड़ से 62.18 *प्रतिशत* घटकर वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 6,736.26 करोड़ रही। वर्ष 2017–18 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ₹ 18.66 करोड़ गारण्टी कमीशन का भुगतान किया गया।

मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.6 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों में इंगित अंशपूंजी, ऋण और गारण्टी से संबंधित आंकड़े मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते, तो संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों और वित्त विभाग को आंकड़ों में अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति तालिका 1.4 में दी गई है:

तालिका 1.4: उपक्रमों के लेखों की तुलना में वित्त खातों के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित अंशपूंजी, ऋण और गारण्टी की राशि

(₹ करोड़ में)

निवेश का प्रकार	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसार	अंतर
अंशपूंजी	27,254.82	19,467.02	7,787.80
ऋण	32,864.75	26,808.01	6,056.74
गारण्टी	3,581.72	2,772.16	809.56
योग	63,701.29	49,047.19	14,654.10

स्रोत: *सार्वजनिक उपक्रमों और वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।*

पिछले कई वर्षों से आंकड़ों के बीच अंतर बना हुआ है। अंतर के मिलान का मुद्दा समय–समय पर सार्वजनिक उपक्रमों/ विभागों के साथ भी उठाया गया था। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य शासन और सरकारी उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अंतरों का मिलान करना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

1.7 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रम थे। सात कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2017–18 के लेखे 31 दिसंबर 2018 तक प्रस्तुत किए गए । 31 मार्च 2018 की स्थिति में पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर/ 30 सितंबर तक ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने में विलंब का विवरण तालिका 1.5 में दिया गया हैं:

तालिका 1.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

क्रम सं	विवरण	2015–16	2016–17[14]	2017–18
1.	उपक्रमों की संख्या	11	11	11
2.	वर्तमान वर्ष में प्रस्तुत लेखों की संख्या	13	08	13
3.	वर्तमान वर्ष के लेखे अंतिमीकृत करने वाले उपक्रमों की संख्या	08	05	07
4.	वर्तमान वर्ष में अंतिमीकृत पिछले वर्षों के लेखों की संख्या	05	03	06
5.	बकाया लेखों वाले उपक्रमों की संख्या	03	06	04
6.	बकाया लेखों की संख्या	03	06	04
7.	बकाया अवधि	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष

स्रोत: *31 दिसंबर 2018 तक प्राप्त उपक्रमों के लेखों के आधार पर संकलित।*

[14] वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए 31 दिसंबर तक प्राप्त लेखे शामिल किए गए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

1.8 ऊर्जा क्षेत्र की 11 उपक्रमों के 31 दिसंबर 2018 को नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम ***परिशिष्ट 1.1*** में वर्णित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपक्रमों में शासन द्वारा किए गए निवेश पर उचित लाभ अर्जित करेंगे। राज्य शासन और अन्य का ऊर्जा क्षेत्र में कुल निवेश ₹ 80,162.63 करोड़ था, जिसमें अंशपूंजी के रूप में ₹ 35,817.56 करोड़ और ₹ 44,345.07 करोड़ दीर्घावधि ऋण के रूप में था, जैसा की ***परिशिष्ट 1.2*** में वर्णित हैं। इसमें से, मध्य प्रदेश शासन ने इस प्रतिवेदन में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के सात[15] सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 19,467.71 करोड़ अंशपूंजी और ₹ 26,804.52 करोड़ दीर्घावधि ऋण सहित ₹ 46,272.23 करोड़ का निवेश किया है।

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान म.प्र.शा. द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में अंशपूंजी और दीर्घावधि ऋण के रूप में किए गए निवेश की वर्ष वार स्थिति चार्ट 1.2 में दर्शायी गयी है:

चार्ट 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में मध्य प्रदेश शासन का कुल निवेश

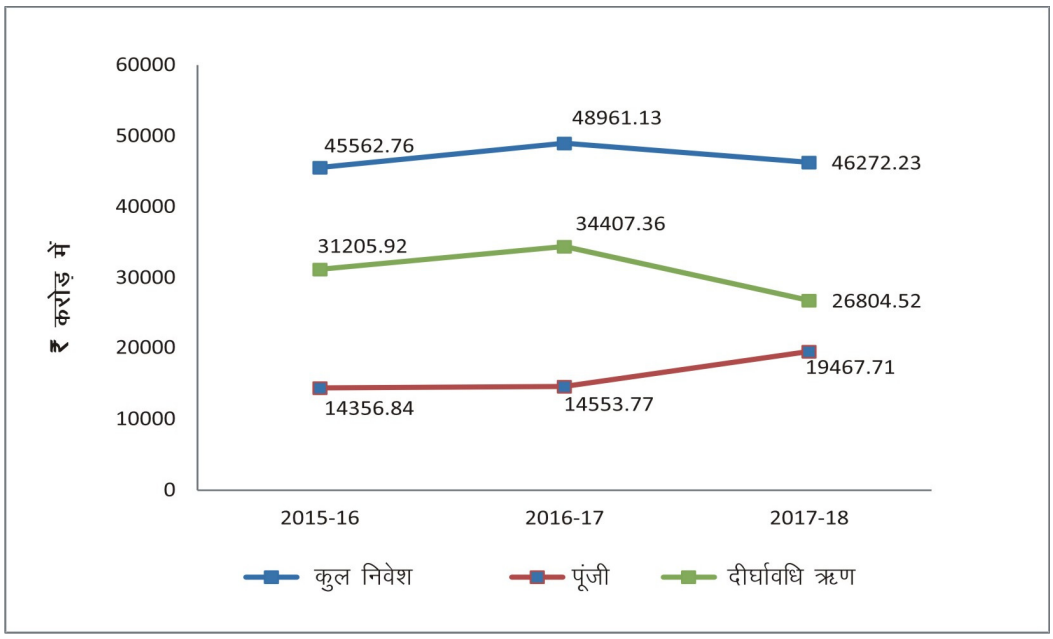

एक कंपनी की लाभप्रदता का आंकलन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, अंशपूंजी पर प्रतिफल और निवेशित पूंजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल निश्चित वर्ष में होने वाले लाभ या हानि को अंशपूंजी और ऋण की धनराशि के अनुपात के रूप में मापता है और लाभ को कुल निवेश के *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त करता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना कंपनी के कर और ब्याज़ पूर्व लाभ को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूंजी पर प्रतिफल प्रदर्शन को मापने का एक पैमाना है जिसकी गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को अंशधारकों की पूंजी से विभाजित कर की जाती है।

[15] म.प्र. शासन द्वारा म.प्र.पा.मै.कं.लि. और म.प्र.पा.ज.कं.लि. को इनकी सहायक कंपनियों की ओर से अंशपूंजी निवेश प्रदान किया गया। अतः राज्य शासन के निवेश की गणना हेतु सहायक कंपनियों की ओर से केवल धारक कंपनी को ही शामिल किया गया है। शेष दो उपक्रम म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. और म.प्र.ऊ.वि.नि.लि. है।

निवेश पर प्रतिफल

1.9 निवेश पर प्रतिफल कुल निवेश पर लाभ या हानि का *प्रतिशत* है। ऊर्जा क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा 2015–16 से 2017–18 के दौरान अर्जित लाभ/ वहन हानि[16] की समग्र स्थिति चार्ट 1.3 में दिखायी गयी है :

चार्ट 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/ वहन हानि

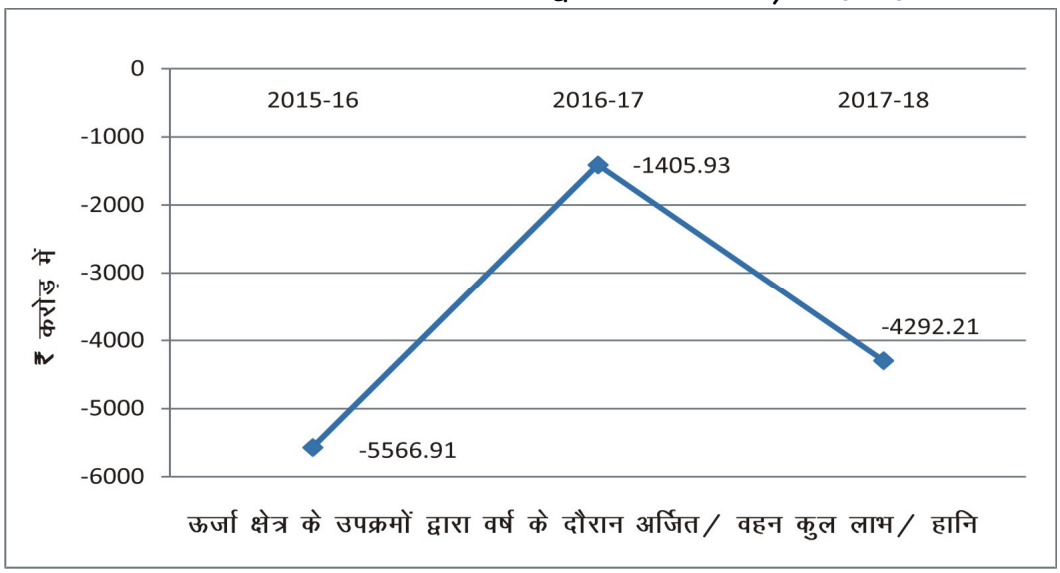

इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2015–16 की ₹ 5,566.91 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2017–18 में ₹ 4,292.21 करोड़ हानि वहन की गयी। इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 618.10 करोड़ लाभ अर्जित किया, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 4,907.25 करोड़ हानि वहन की और दो[17] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई लाभ/ हानि नहीं हुआ (***परिशिष्ट –1.1***)। लाभ कमाने वाली कंपनियां, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 552.89 करोड़), मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (₹ 32.73 करोड़) और मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (₹ 32.48 करोड़) थी, जबकि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 2,716.79 करोड़) और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 2,190.46 करोड़) को भारी नुकसान हुआ।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की 2015–16 से 2017–18 के दौरान अर्जित लाभ/ वहन हानि की स्थिति तालिका 1.6 में दी गयी है:

[16] संबंधित वर्ष में नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आंकड़े।

[17] म.प्र.पा.मै.कं.लि. के शुद्ध खर्चे उसकी सहायक कंपनियों, जिनकी ओर से वह कार्य करती है, में वितरित कर दीये जाते है। म.प्र.ऊ.वि.नि.लि. की व्यापारिक हानि सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है।

तालिका 1.6: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित/ हानि वहन की

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र के कुल उपक्रम	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान लाभ/ हानि दर्ज न करने वाले उपक्रमों की संख्या
2015–16	11	2	5	4
2016–17	11	2	5	4
2017–18	11	3	3	5

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

1.10 इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक उपक्रमों में शासन द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के मद्देनजर, राज्य शासन के दृष्टिकोण से इस तरह के निवेश पर प्रतिफल अत्यावश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। अतः, धन के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर की गणना भी की गयी है। म.प्र.रा.वि.मं. के विघटन (2000–01) के पश्चात इन कंपनियों की बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने के बाद से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना, वहाँ की गयी है जहां राज्य शासन द्वारा अंशपूंजी, दीर्घावधि ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में धन का निवेश किया है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

- राज्य शासन द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋण और पूंजीगत अनुदान को निवेश के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, उन मामलों में जहां उपक्रमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में अंशपूंजी में बदल दिया गया था, ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटाकर उस वर्ष की अंशपूंजी में जोड़ दिया गया है। उदय योजना के तहत दिए गए अनुदान को छोडकर राजस्व अनुदान और सब्सिडी को निवेश के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

- वर्तमान मूल्य की गणना के लिए छूट दर के रूप में संबंधित वित्तीय वर्ष[18] के लिए शासन के ऋणों की औसत ब्याज दर को अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए शासन द्वारा वहन लागत का प्रतिनिधित्व करती है।

2015–16 से 2016–17 की अवधि के लिए जब इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा हानि का वहन किया गया, प्रदर्शन के मूल्यांकन का एक अधिक उपयुक्त पैमाना हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण है। कंपनी के निवल मूल्य के क्षरण पर टिप्पणी *कंडिका 1.12* में की गई है।

[18] सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज दर, संबन्धित वर्ष के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त (मध्य प्रदेश शासन) पर प्रतिवेदन से लिया गया है, जहां पर ब्याज भुगतान की औसत दर = ब्याज भुगतान/ [(विगत वर्ष की राजकीय देनदारियाँ + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ)/2]*100।

1.11 इन कंपनियों की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2018 तक अंशपूंजी, ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में इस प्रतिवेदन में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के सात उपक्रमों में राज्य शासन के निवेश की स्थिति तथा 2000–01 से 31 मार्च 2018 तक राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 1.7 में दर्शाई गई है:

तालिका 1.7: राज्य शासन द्वारा 2000–01 से 2017–18 तक किए गए निवेश एवं उसके वर्तमान मूल्य का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	राज्य शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में निवेशित अंशपूंजी	राज्य शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में निवेशित ऋण और पूंजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	शासन के ऋणों पर औसत ब्याज दर (*प्रतिशत* में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेशित राशि की लागत वसूलने के लिए वर्ष में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के दौरान कुल लाभ[19]
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1+vi)/100}	ix={vii*vi/100}	x
2000–01	2544.08	–478.85	97.52	–381.33	9.94	2162.75	2377.73	214.98	–1,374.03
2001–02	2377.73	0.00	191.68	191.68	9.19	2569.41	2805.54	236.13	–1,477.23
2002–03	2805.54	–61.53	–1874.87	–1936.40	8.81	869.14	945.71	76.57	–1,476.97
2003–04	945.71	0.25	0.00	0.25	9.41	945.96	1034.97	89.01	–157.5
2004–05	1034.97	0.00	682.04	682.04	8.96	1717.01	1870.86	153.84	148.36
2005–06	1870.86	3949.23	3763.30	7712.53	7.33	9583.39	10285.85	702.46	1,241.50
2006–07	10285.85	162.75	198.01	360.76	7.86	10646.61	11483.43	836.82	554.84
2007–08	11483.43	774.11	–3739.92	–2965.81	7.72	8517.62	9175.18	657.56	–1,729.70
2008–09	9175.18	2048.89	1139.66	3188.55	7.24	12363.73	13258.87	895.13	–3,218.73
2009–10	13258.87	2659.40	1515.05	4174.45	6.94	17433.32	18643.19	1209.87	–3,616.38
2010–11	18643.19	–114.24	1281.62	1167.38	7.07	19810.57	21211.17	1400.61	–2,147.35
2011–12	21211.17	1017.28	5029.04	6046.32	6.91	27257.49	29140.99	1883.49	–2,469.05
2012–13	29140.99	953.84	6613.06	7566.90	6.75	36707.89	39185.67	2477.78	–4,280.84
2013–14	39185.67	893.44	3743.04	4636.48	6.69	43822.15	46753.85	2931.70	–6,197.61
2014–15	46753.85	1204.35	9338.05	10542.40	6.73	57296.25	61152.29	3856.04	–6,588.09
2015–16	61152.29	637.23	2325.81	2963.04	6.86	64115.33	68513.64	4398.31	–4,994.09
2016–17	68513.64	196.93	3260.89	3457.82	6.72	71971.46	76807.94	4836.48	–5,546.12
2017–18	76807.94	4913.94	–7599.35	–2685.41	6.67	74122.53	79,066.51	4943.97	–4,289.15
योग		**18,757.02**	**25,964.63**	**44,721.65**					

राज्य शासन द्वारा अंशपूंजी (₹ 18,757.02 करोड़), ऋण (₹ 25,309.73 करोड़) और पूंजीगत अनुदान (₹ 654.90 करोड़) में किए गए निवेश के कारण इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन के निवेश की राशि वर्ष 2000–01 में ₹ 2,544.08 करोड़ से बढ़कर 2017–18 के अंत में ₹ 47,265.73 करोड़ हो गयी। निवेश का 31 मार्च 2018 तक वर्तमान मूल्य ₹ 79,066.51 करोड़ होता है।

[19] वर्ष के लिए कुल आय उन ऊर्जा क्षेत्र के उन सार्वजनिक उपक्रमों जहाँ राज्य शासन द्वारा निधि का निवेश किया गया, के संबंधित वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/ हानि) के योग को दर्शाती है।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2000–01 से 2017–18 के दौरान इन कंपनियों की कुल आय नकारात्मक रही, जो इंगित करती है कि निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय, यह कंपनियाँ शासन की निधियों की लागत भी वसूल नहीं कर सकी।

इसके अलावा, शासन ने तीन विद्युत वितरण कंपनियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण चुकाने के लिए 2016–17 में ₹ 7,568.00 करोड़ और 2017–18 में ₹ 4,621.99 करोड़ उदय योजना के तहत अंशपूंजी/ अनुदान के रूप में दिया है। यदि हम इस अनुदान को राज्य शासन के निवेश मानते हैं, तो निवेश पर प्रतिफल और कम हो जाएगा।

निवल मूल्य का क्षरण

1.12 निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और मुक्त भंडार और अधिशेष के योग में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के बाद शेष राशि। वास्तव में यह स्वामियों के लिए किसी प्रतिष्ठान के मूल्य का एक पैमाना है। नकारात्मक निवल मूल्य बताता है कि संचित हानियों और आस्थगित राजस्व व्यय ने स्वामियों द्वारा किये गए पूरे निवेश को समाप्त कर दिया है।

31 मार्च 2018 को पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संचित हानि ₹ 45,228.09 करोड़ थी। इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2017–18 में ₹ 4,907.25 करोड़ की हानि हुई और तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2017–18 में हानि नहीं हुई जबकि उनकी संचित हानि ₹ 12,540.87 करोड़ थी।

इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से तीन की निवल मूल्य का उनकी संचित हानि के कारण पूरी तरह से क्षरण हो गया था और उनकी निवल मूल्य या तो शून्य या नकारात्मक थी। 31 मार्च 2018 को इन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 16,119.70 करोड़ पूंजी निवेश के विरुद्ध इनकी निवल मूल्य (–) ₹ 27,912.81 करोड़ थी। यद्यपि, उन तीन उपक्रमों जिनकी निवल मूल्य का क्षरण हो चुका है (शून्य या नकारात्मक निवल मूल्य) में से एक उपक्रम ने 2017–18 के दौरान मुख्यतः उदय के तहत प्राप्त अनुदान के कारण ₹ 552.89 करोड़ का लाभ कमाया (***परिशिष्ट–1.1***)।

जिन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी का क्षरण हो गया था, उन पर 31 मार्च 2018 को शासन का ₹ 26,559.67 करोड़ राशि का ऋण बकाया था।

31 मार्च 2018 के अंत में जिन उपक्रमों की निवल मूल्य सकारात्मक थी उनमें से एक उपक्रम (म.प्र.पा.मै.कं.लि.) का निवल मूल्य उसकी प्रदत्त पूंजी के आधे से भी कम था, जिसका मुख्य कारण यह है कि वह कोई भी स्वतंत्र व्यापार गतिविधि नहीं करती है और सिर्फ अपनी सहायक कंपनियों (विद्युत वितरण कंपनियों) की ओर से ऊर्जा का व्यापार करती है।

तालिका 1.8, 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान उन तीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की प्रदत्त पूंजी, संचित लाभ/ हानि एवं निवल मूल्य दर्शाती है जिनके निवल मूल्य का क्षरण हो चुका है:

तालिका 1.8: 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि वहन करने वाली तीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ/ हानि	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2015–16	5,868.60	–35,602.55	–	–29,733.95
2016–17	9,973.21	–37,131.92	–	–27,158.71
2017–18	14,040.00	–42,032.03	–	–27,992.03

लाभांश भुगतान

1.13 राज्य शासन ने (जुलाई 2005) एक लाभांश नीति तैयार की थी जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लाभ कमाने वाले उपक्रमों को कर पश्चात लाभ पर न्यूनतम 20 *प्रतिशत* का लाभांश भुगतान करना आवश्यक है। उनकी नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, में से तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ₹ 618.10 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया लेकिन उनमें से किसी ने भी उपरोक्त मापदंड के अनुसार ₹ 123.62 करोड़ लाभांश की घोषणा नहीं की। इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए उन सात ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों जिनमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस अवधि में अंशपूंजी निवेश किया गया था से संबंधित लाभांश भुगतान का ब्यौरा तालिका 1.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: 2015–16 से 2017–18 के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल सात सरकारी उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ मे)

वर्ष	सरकारी उपक्रम जिनमें म.प्र.शा. द्वारा पूंजी निवेश की गयी		सरकारी उपक्रम जिन्होनें वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		उपक्रम जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/ वितरित किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	उपक्रमों की संख्या	म.प्र.शा. द्वारा निवेशित पूंजी	उपक्रमों की संख्या	म.प्र.शा. द्वारा निवेशित पूंजी	उपक्रमों की संख्या	उपक्रमों द्वारा प्रदत्त/ आश्वासित लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2015–16	8	637.23	2	339.82	0	0	0
2016–17	8	196.93	2	445.45	0	0	0
2017–18	8	4,913.94	3	2,655.70	0	0	0

2015–16 से 2017–18 के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या दो और तीन के बीच थी, जिसमें से किसी भी उपक्रम ने मध्य प्रदेश शासन को लाभांश भुगतान/ घोषित नहीं किया।

आगे विश्लेषण से पता चला कि इनमें से किसी भी कंपनी ने शुरूआत से ही लाभांश भुगतान/ घोषित नहीं किया।

पूंजी पर प्रतिफल

1.14 पूंजी पर प्रतिफल[20] (आर.ओ.ई.) वित्तीय प्रदर्शन का एक पैमाना है जिससे यह आंकलन किया जाता है की प्रबंधन कितने प्रभावी ढंग से कंपनी की संपत्ति का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए कर रहा है और इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात कर पश्चात शुद्ध

[20] अंशपूंजी पर प्रतिफल = (कर और वरियता लाभांश पश्चात शुद्व लाभ/ अंशपूंजी + ऋण)*100, जहॉ अंशपूंजी = प्रदत्तपूँजी + मुक्तभंडार–संचित हानि–आस्थगित राजस्व व्यय।

लाभ) को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और अंशधारकों की निधि की संख्या सकारात्मक है।

पूंजी पर प्रतिफल की गणना उन तीन[21] ऊर्जा क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों के संबंध में की गई है जिनमें राज्य शासन द्वारा धन का निवेश किया गया था क्योंकि अन्य हानि वहन करने वाले उपक्रमों का निवल मूल्य नकारात्मक है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के इन उपक्रमों की अंशधारक निधि और पूंजी पर प्रतिफल का विवरण तालिका 1.10 में दिया गया है:

तालिका 1.10: उन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का पूंजी पर प्रतिफल जिनमें राज्य शासन द्वारा धन का निवेश किया गया है

वर्ष	वर्ष के दौरान शुद्ध/ कुल आय[22] (₹ करोड़ में)	अंशधारक निधि (₹ करोड़ में)	पूंजी पर प्रतिफल (%)
2015–16	29.49	16,920.51	0.17
2016–17	64.28	11,462.01	0.56
2017–18	65.21	12,118.70	0.54

मार्च 2018 को समाप्त विगत तीन साल की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सरकारी उपक्रमों का पूंजी पर प्रतिफल मात्र 0.17 और 0.56 *प्रतिशत* के मध्य रहा जो की इन सरकारी उपक्रमों के खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

1.15 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी कार्यरत है।

आर.ओ.सी.ई.की गणना एक कंपनी की ब्याज और कर पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूंजी[23] द्वारा विभाजित करके की जाती है। इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 2015–16 से 2017–18 की अवधि के आर.ओ.सी.ई. का विवरण तालिका 1.11 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.11: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज और कर पूर्व आय (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आर.ओ.सी.ई. (%)
2015–16	–2,654.18	15,432.56	–17.20
2016–17	1,577.81	14,826.51	10.64
2017–18	–473.37	23,876.88	–1.98

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (–) 17.20 *प्रतिशत* और 10.64 *प्रतिशत* के मध्य रहा।

---

21 म.प्र.पा.ज.कं.लि., म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.।

22 संबंधित वर्ष के वार्षिक लेखों के अनुसार।

23 नियोजित पूंजी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानि – आस्थगित राजस्व व्यय। आंकडें सार्वजनिक उपक्रमों के नवीनतम वर्ष के अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हैं।

कंपनियों के दीर्घावधि ऋण का विश्लेषण

1.16 शासन, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण की अदायगी की कंपनियों की क्षमता का आंकलन करने के लिए उन कंपनियों के दीर्घावधि ऋणों की समीक्षा की गयी जिनने 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऋण ले रखे थे। यह मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से किया गया है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.17 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। जितना कम अनुपात, उतनी ही कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की कम क्षमता। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात से संकेत मिलता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही है। इस प्रतिवेदन में शामिल कंपनियां जिनके ऋण बकाया हैं उनके ब्याज व्याप्ति अनुपात का 2015–16 से 2017–18 की अवधि का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है:

तालिका 1.12: ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ मे)	ब्याज और कर पूर्व आय (ई.बी.आई.टी) (₹ करोड़ मे)	सरकार, बेंकों व अन्य वित्तीय संस्थानो के प्रति ऋण के दायित्व वाले उपक्रमों की संख्या	ब्याज व्याप्ति अनुपात 1 से अधिक वाली कंपनियों की संख्या	ब्याज व्याप्ति अनुपात 1 से कम वाली कंपनियों की संख्या
2015–16	2,905.06	–2,653.64	7	2	5
2016–17	3,441.12	1,577.81	7	3	4
2017–18	4,307.36	–468.30	7	3	4

यह देखा गया कि एक से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 2015–16 में दो थी जो 2017–18 में बढ़कर तीन हो गयी।

किसी भी उपक्रम के मामले में ऋणों पर देय ब्याज उसके, कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक नहीं था जो कि इन उपक्रमों के दिवालियेपन के उच्च जोखिम की ओर संकेत करता है।

राज्य शासन द्वारा प्रदत्त ऋण पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

1.18 31 मार्च 2018 को, मध्य प्रदेश शासन द्वारा तीन सार्वजनिक उपक्रमों को प्रदान किए गए ऋणों पर ₹ 4,739.07 करोड़[24] का ब्याज बकाया था। सार्वजनिक उपक्रमों पर राज्य शासन द्वारा प्रदत्त ऋण पर बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण तालिका संख्या 1.13 में दर्शाया गया है:

[24] पाँच उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर।

तालिका 1.13: राज्य शासन द्वारा प्रदत्त ऋण पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र सं	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	ऋण पर बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम अवधि से बकाया	1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि से बकाया	3 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया
1	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1,183.26	868.76	184.57	129.93
2	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1,563.06	1,101.26	391.73	70.07
3	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1.63	0.54	1.02	0.07
4	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1,703.58	317.77	498.27	887.54
5	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	287.54	73.84	96.78	116.92
	योग	**4,739.07**	**2,362.17**	**1,172.37**	**1,204.53**

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत सहायता

1.19 ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.मं.), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय योजना) का शुभारंभ (20 नवंबर 2015) किया। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को विद्युत वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय परिवर्तनों के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

परिचालन दक्षता में सुधार के लिए योजना

1.19.1 भाग लेने वाले राज्यों को परिचालन क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न लक्षित कार्यों को करने की आवश्यकता थी। जैसे अनिवार्य फीडर और वितरण ट्रान्स्फ़ोर्मर (डी.टी.) की अनिवार्य मीटरीकरण, उपभोक्ता अनुक्रमण और वितरण हानियों की जी.आई.एस. मैपिंग, ट्रांसफार्मर या मीटरों का उन्नयन करना या बदलना, 200 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के माध्यम से डिमांड साइड मैनेजमेंट (डी.एस.एम.), ऊर्जा टैरिफ का तिमाही संशोधन, बिजली की चोरी को कम करने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) अभियान चलाना, उन क्षेत्रों में जहां समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानि कम हई है उन क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाना सुनिश्चित करना। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन भी किया जाना आवश्यक था, जिससे लक्षित लाभ अर्थात् फीडर और वितरण ट्रान्सफॉर्मर स्तर पर नुकसान का पता करने की क्षमता, हानि पहुंचाने वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी हानियों को कम करना और आउटेज को कम करना, बिजली की चोरी को कम करना और चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, पीक लोड और ऊर्जा की खपत को कम करना आदि की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। परिचालन सुधारों के परिणामों का आंकलन संकेतकों के माध्यम से किया जाना था जैसे, ऊर्जा मंत्रालय और राज्यों द्वारा अंतिमीकृत हानि ट्राजेक्टरी के अनुसार 2019–20 में समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानियों को 15 *प्रतिशत* तक कम करना, 2019–20 तक, आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व के बीच अंतर को शून्य करना।

वित्तीय परिवर्तन के लिए योजना

1.19.2 भाग लेने वाले राज्यों को 2020–21 तक डिस्कॉमों के 75 *प्रतिशत* कर्ज टेकओवर करने थे अर्थात 2016–17 में 21.80 *प्रतिशत* और 2017–18 से 2020–21 तक प्रत्येक वर्ष 13.30 *प्रतिशत* वित्तीय परिवर्तनों की योजना में निम्न प्रावधान थे:

- राज्य मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान/ ऋण/ अंशपूंजी प्रदान करने के लिए धन जुटाने के लिए गैर–एस.एल.आर. बॉन्ड जारी करेगा।

- ऋणों का टेकओवर मध्य प्रदेश शासन के गैर पूंजीगत ऋणों के बाद अधिक लागत वाले ऋणों के क्रम में होना चाहिए।

- 2016–17 में राज्य द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को हस्तांतरित राशि, अंशपूंजी के रूप में होगी और शेष का हस्तांतरण अनुदान के रूप में होगा।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.19.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

परिचालन मापदंडों की प्राप्ति

उदय योजना के तहत विभिन्न संचालन मानकों के बारे में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राज्य की तीन डिस्कॉमों से संबंधित उपलब्धियों की तुलना तालिका 1.14 में दी गयी है:

तालिका 1.14: वर्ष 2017–18 हेतु मापदंडवार परिचालन प्रदर्शन के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

मापदंड	समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
वित्तीय सुधार			
पूंजी/अनुदान में परिवर्तित कर विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों का मध्य प्रदेश शासन द्वारा टेकओवर (₹ करोड़ मे)	2017–18	4,622.00	4,621.99
समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानियों में कमी (*प्रतिशत* मे)	2017–18	19.15	30.16
ए.सी.एस. और ए.आर.आर. के अंतर को खत्म करना (₹ प्रति इकाई तक)	2017–18	0.16	0.47
टैरिफ़ संशोधन समय पर करना	2017–18	समय पर टैरिफ याचिका दायर की	कोई विलंब नहीं
बिलिंग दक्षता (*प्रतिशत* में)	2017–18	80.85	76.03
संग्रह दक्षता (*प्रतिशत* में)	2017–18	100.00	91.51
परिचालन सुधार			
वितरण ट्रान्स्फ़ॉर्मर मीटरिकरण (शहरी) (संख्या में)	2017–18	63,259.00	49,997.00
वितरण ट्रान्स्फ़ॉर्मर मीटरिकरण (ग्रामीण) (संख्या में)	2017–18	3,24,710.00	1,29,982.00
फीडर मीटरीकरण (ग्रामीण) (संख्या में)	2017–18	14,204.00	8,934.00
ग्रामीण फीडर ऑडिट (संख्या में)	2017–18	11,934.00	8,726.00
500 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2017–18	1,28,708.00	40,557.00
असंयोजित घरों का विद्युतीकरण (लाख मे)	2017–18	142.08	78.03
उजाला योजना के तहत एल.ई.डी. का वितरण (लाख मे)	2017–18	300.00	132.41
भौतिक फीडर विभक्तिकरण (संख्या में)	2017–18	7,968.00	5,001.00

स्रोत: *तीन विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदत्त जानकारी।*

ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर मीटरिंग और वितरण ट्रांस्फ़ार्मर मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, कनेक्शन न दिये गये घरों को बिजली प्रदान करने और एल.ई.डी. के वितरण में राज्य ने खराब प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, प्रगति के मौजूदा रुझान को देखते हुए, राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 2019–20 तक समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानियों को 15 *प्रतिशत* तक कम कर पाना मुश्किल होगा। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, 30 सितंबर 2018 तक उदय योजना के तहत तीन राज्य डिस्कॉमों द्वारा प्राप्त की गयी समग्र उपलब्धियों के आधार पर सभी राज्यों के बीच मध्य प्रदेश राज्य नौवें स्थान पर था।

वित्तीय सुधारों का कार्यान्वयन

1.19.4 मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) ने उदय स्कीम का लाभ लेने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को अपनी 'सैद्धांतिक' सहमति (दिसंबर 2015) में दे दी। इसके बाद, ऊर्जा मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, और तीन सहायक राज्य डिस्कॉम (यानी म.प्र.मध्य क्षे.वि.वि.कं. लि./ म.प्र.पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि./ म.प्र.पश्चिम क्षे.वि.वि.कं.लि.) की ओर से म.प्र.पा.मै.कं.लि. के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.), (10 अगस्त 2016) हस्ताक्षरित किया गया। उदय योजना और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉमों से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 34,739 करोड़) में से, म.प्र.शा. ने 75 *प्रतिशत* कुल ऋण का वहन कर लिया है। 2016–17 और 2017–18 की अवधि के दौरान कुल ऋण ₹ 12,189.99 करोड़ वहन कर लिया है, जैसा कि तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंशपूंजी निवेश	अनुदान	योग
2016–17	3,557.00	4,011.00	7,568.00
2017–18	4,010.99	611.00	4,621.99
योग	**7,567.99**	**4,622.00**	**12,189.99**

शेष राशि ₹ 13,864.26 करोड़ को तीन साल की अवधि अर्थात 2018–19, 2019–20 और 2020–21 में अनुदान में परिवर्तित किया जाना है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ

1.20 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान नौ ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों ने अपने 13 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकर को प्रेषित किये। इनमें से आठ लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा संकेत करती है कि खातों की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। 2016–18 के लेखों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण तालिका 1.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.16: ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	5	20.15	2	10,063.26	0	0
2	लाभ में वृद्धि	–	–	–	–	0	0
3	हानि में वृद्धि	3	11,260.65	1	162.63	1	217.27
4	हानि में कमी	–	–	–	–	–	–
5	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट ना करना	3	97.25	1	7.98	–	–
6	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	3	605.29	2	136.71	1	3,841.00

स्रोत: *सरकारी कंपनियों के संबंध में संवैधानिक लेखापरीक्षकों/ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संकलित।*

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात[25] लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन खराब होने के कारण सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 12 मामलों का उल्लेख किया।

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

1.21 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के भाग 1 के लिए, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित तीन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाऐं, दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत किए जाने के अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन को जारी की गयी थी। सभी अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर राज्य शासन से प्राप्त किये जाकर इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किये गए। अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 29.57 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कार्रवाई का अनुपालन

1.22 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच का उत्पाद है। इसलिए, यह आवश्यक है कि उसे कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया (मई 2016) कि विधानसभा में उसकी प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल कंडिका/ समीक्षाओं पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (स.उ.सं.स.) से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.23 सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पी.एस.यू.) में सम्मिलित कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई चर्चाओं की 31 दिसंबर, 2018 की स्थिति तालिका 1.17 में दर्शाई गयी है:

तालिका 1.17: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं और उनपर की गयी चर्चा की 31 दिसंबर 2018 की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अवधि	समीक्षा/कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		कंडिका जिन पर चर्चा की गयी	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2015–16	1	6	1	6
2016–17	2	6	–	–

स्रोत: *लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित ।*

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.24 2000–01 से 2011–12 तक राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किए गए कोपू के आठ प्रतिवेदनों पर सार्वजनिक उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र) से कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए (31 दिसंबर 2018) जैसा तालिका 1.18 में दर्शाया गया है:

[25] ***परिशिष्ट 1.1*** *की क्र. सं. क 1, ख 5, ग 6, ग 7, ग 8, घ 9 और घ 10 पर सार्वजनिक उपक्रमों के लेखे ।*

तालिका 1.18: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सिफ़ारिशों की कुल संख्या	सिफ़ारिशों की संख्या जिन पर कार्यवाही प्रतिवेदन लंबित हैं
2000–01	1	29	9
2001–02	1	41	10
2009–10	3	3	3
2010–11	2	5	4
2011–12	1	1	1
योग	**8**	**79**	**27**

स्रोत: *कोपू की सिफारिशों पर मध्य प्रदेश शासन के संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यवाही प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित ।*

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड से संबंधित कंडिकाओं के संबंध में सिफारिशें थीं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2000–01 से 2011–12 के प्रतिवेदनों में सम्मिलित थी।